उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या 690/ix–1/2016/33/2013
दिनांक: 21, सितम्बर, 2017

## अधिसूचना

राज्यपाल, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 118 के उपनियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके शासकीय अधिसूचना संख्या 85/ix–1/2016/33/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2017 के क्रम में और इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत टेस्टिंग एजेन्सी द्वारा निर्गत टाइप एप्रूवल प्रमाणपत्र के आधार पर योग्य गति नियंत्रण (गति सीमित करने की युक्ति) लगाने हेतु एतदद्वारा निम्नलिखित प्रकिया और दिशानिर्देश निर्धारित करते है–

1. विनिर्माता/विकेता ए.आइ.एस. मानक: 018/2001 की अपेक्षाओं का पालन करने विषयक समय–समय पर यथा संशोधित ए.आइ.एस. 037/2004 के अनुसार विहित विभिन्न वाहन माडल और उनके वैरियन्ट के लिए विधिमान्य टाइप एप्रूवल प्रमाणपत्र तथा सी ओ पी और अनुमोदित गति नियंत्रक की ए.आर.एस OP/2001 यथा संशोधित के अनुरूप परफारमेन्स टेस्ट रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे।
2. समय–समय पर यथा संशोधित ए.आई.एस. 004 (भाग–3)/1999 के अनुसार गति नियंत्रक इलेक्ट्रोमैगनेटिक कम्पेटिविलिटी Electromagnetic Compatibility (EMC) की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।
3. लगाये जाने वाले प्रत्येक गति नियंत्रक के घटक (component) का सत्यापन उसके चिन्हांकन (जो बारकोड़ सहित स्टिकर के आकार में हो सकता है) के लिए किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सूचनांए होंगी–
   (क) विनिर्माता का प्रतीक/ट्रेडमार्क।
   (ख) विनिर्माता द्वारा प्रदत्त कमिक संख्या।
   (ग) टेस्ट एजेन्सी द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित ए.आई.एस. 037/2004 के अनुसार छः अक्षरों में प्रदर्शित आवंटित टाइप एप्रूवल वर्णसंख्या सूचक संदर्भ अंक चिन्ह ।
4. गति नियंत्रक का टाइप एप्रूवल और कमिक संख्या VAHAN डाटा बेस में, आडिट/निगरानी के लिए एन.आई.सी. द्वारा यथासमय एकीकृत कर दिया जायेगा जिससे परिवहन प्राधिकारी उसका सत्यापन कर सके।
5. विंड स्कीन के सामने भीतर बायी ओर के ऊपरी भाग पर 100 मिमी×60 मिमी के मानकीकृत आकार का स्टीकर लगा होगा जिसमें 55 मिमी वृत में नियत गति सीमा दर्शित होगी और उसके शेष स्थान का उपयोग ऊपर 3 मे उल्लिखित सूचनाओं के लिए होगा।
6. प्रत्येक गति नियंत्रक विनिर्माता से अपेक्षित है कि वह यान में संस्थापित प्रत्येक गति नियंत्रक के रिकार्ड हेतु प्रबन्ध सूचना प्रणाली अभिरक्षित करेगा जिससे गति नियंत्रक

के रिकार्ड का किसी भी समय आडिट/त्वरित पुनः प्राप्ति retrieval के लिए उपयोग हो सके।

7. गति नियंत्रक को वाहनों के विभिन्न माडलों पर स्थापित किये जाने के लिये राज्य में अधिकृत किये जाने हेतु प्रत्येक विनिर्माता अथवा अधिकृत डीलर, परिवहन आयुक्त के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र के साथ विनिर्माता अथवा डीलर को, जी0एस0टी0 (वैट संख्या), उत्तराखण्ड मे डीलर नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क से सम्बन्धित अभिलेख, प्रोटोटाईप ऐजेन्सी द्वारा अनुमोदित गति नियंत्रकों की माडलवार सूची के साथ अनुमोदन पत्र की प्रतियां संलग्न करनी होगी।
8. पंजीयन अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि परिवहन आयुक्त द्वारा अधिकृत विनिर्माता अथवा डीलर वाहनों पर वही स्पीड गर्वनर स्थापित करेगें, जो वाहन के सम्बन्धित मॉडल/वैरियन्ट के लिये प्रोटोटाईप ऐजेन्सी द्वारा अनुमोदित किये गये हों।

(डी0सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no /ix-1/2016/33/2013 dated September, 2017 for general information.

**Uttarakhand Shashan**
**Transport Section-1**
**No 694/ix-1/2016/33/2013**
**Dehradun, Dated 21, September, 2017**

**Notification**

In excercise of the powers conferred by sub rule (2) of rule 118 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, and in addition in continuance of Government Notification No. 85/ix-1/33(2013)/2016 dated 31st January, 2017 the Governor, hereby prescribe the following procedure and guidelines for fitment of speed governor (Speed Limiting Device) on the basis of type approval certificate issued by testing agencies authorised under rule 126 of the Central Motor Vehicles Rule, 1989.

1. To comply with AIS-018/2001 the manufecturer/ vendor shall submit valid type Approval Certificate and COP as prescribed in AIS-037/2004, as amended from time to time and performance test report on different vehicle models and their variants approved as per AIS 08/2001 as amended from time to time.
2. Speed Governor shall conform to Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements as per AIS 004 (Part3)/1999 as amended from time to time.
3. Speed Governor components to be fitted shall be verified for the markings (may be in the shape of sticker having barcode) containing the following information:-
   (a) The trademark/manufacturer emblem.
   (b) The serial number assigned by the manufacturer.
   (c) Reference Alphanumeric number of the type approval shall be indicated by a mark having six characters allotted by the test agency as per AIS- 037/2004 as amended from time to time.
4. Type approval and serial number of the Speed Governor shall be integrated with the VAHAN database for Audit/Surveillance purposes, as and when NIC incorporates such a facility in VAHAN database, so that it can be verified by Transport Authority.

5. A sticker of standardized size of 100mm x 60 mm has to be fixed on the left upper side of front windscreen from inside indicating the set speed limit in a circle of 55 mm and the remaining space to be used for the information as mentioned in 3 above .
6. Each Speed Governor manufacturer/ Dealer will be required to maintain a Management Information System (MIS) to keep record of each speed Governor installed on the vehicle for audit/ quick retrieval at any time.
7. The manufacturer/ Dealer while submitting the application for approval to the Transport Commissioner Uttrakhand shall also submit documents relating to (VAT)GST number, hologram, dealer network and service network in Uttrakhand . The manufacturer/ authorised dealer shall submit the model wise list of speed limiting device approved by prototype testing agencys .
8. It shall be ensured by the transport authorites that the manufacturer/ dealer, authorised by the transport commissioner uttrakhand affixes the speed limiting device on vehicle, which has been approved by the protype testing agencyes for the concerned model/ variant of the vehicle.

(D. Santhil Pandiyan)
Secretary